PAS · 2791
27/11/18

NO/PA/Dir./P. H./
8262
15 NOV 2018
D.M. & H.S. (P.H.) 26/11/18
Add. Dir

S-552

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग

क्रमांक: प–1(126) कार्मिक/क–3/जॉच/2014 जयपुर, दिनांकः 30 OCT 2018

आदेश

डॉ. सीताराम गहलोत, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ, (मेडिसन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीम राजसमंद के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 30.06.2014 आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र प्रसारित किए गए।

डॉ. सीताराम गहलोत पर निम्न आरोप अधिरोपित किया गयाः–

आरोप

यह कि आप डॉ. सीताराम गहलोत, कनिष्ठ विशेषज्ञ, (मेडिसन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीम राजसमंद में उक्त पद पर कार्यरत रहते हुए राजकीय आदेशों/उच्चाधिकारियों के आदेशों/नियमों की अवहेलना की है। आपका यह कृत्य राजकीय आदेशों व नियमों की अवहेलना करने के कारण गम्भीर दुराचरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आप उत्तरदायी हैं।

डॉ. सीताराम गहलोत ने उन पर अधिरोपित आरोप के क्रम में दिनांक 28.05.2015 को अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् डॉ. गहलोत से प्राप्त लिखित कथन का प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख के साथ परीक्षण करने के उपरान्त डॉ. गहलोत द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन असन्तोषजनक पाये जाने पर प्रकरण की विस्तृत जॉच कराये जाने का निर्णय लिया जाकर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.07.2015 द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) विभागीय जांच विभाग, राज. जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

जांच अधिकारी ने प्रकरण की विस्तृत जांच कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 08.03.2016 द्वारा प्रस्तुत किया। जांच अधिकारी ने डॉ. सीताराम गहलोत पर अधिरोपित आरोप को प्रमाणित माना। तत्पश्चात् इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.03.2016 द्वारा जॉच अधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर डॉ. सीतराम गहलोत से अभ्यावेदन चाहा गया। डॉ. गहलोत ने दिनांक 05.05.2016 द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

डॉ. सीताराम गहलोत ने अपने अभ्यावेदन में निवेदन किया है किः–

उपरोक्त सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि मैं अपने बचाव पक्ष के लिए अपनी ओर से अभ्यावेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है कि अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय विभागीय जॉच अधिकारी के नियुक्ति से लेकर निस्तारण तक उनका व्यवहार, रवैया मेरे प्रति उदासीनता, नकारात्मक रहते हुए पूर्ण ठोस प्रमाणों को नजरअन्दाज कर दिया गया था निष्कर्ष एवं निर्णय के रूप में मुझे पुनः आपके समक्ष अपने पक्ष को लेकर प्रस्तुत करने के लिए मजबूर कर दिया गया है तथा उनके द्वारा की गई एकतरफा निष्कर्ष टिप्पणी पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, उससे मुझे न्याय मिल सके तथा प्रमाणों, साक्ष्यों पर बिना मनन अवलोकन किये ऐसा निर्णय मेरे विरूद्ध लिया गया है जो विधि विरूद्ध आरएसआर नियमों के विरूद्ध तथा न्याय की दृष्टि से भी कतैई पोषनीय नहीं है।

आरोप नं. 01 राजकीय सेवारत रहते–राजकीय आदेशों/उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की है। अतः यह दुराचरण की श्रेणी मे आता है।

उपरोक्त का स्पष्टीकरण एवं प्रमाणित सत्यता स्वरूप निम्न हैं:–

01. यह है कि आपके द्वारा प्रेषित उक्त पत्र एवं ज्ञापन/आरोप पत्र दिनांक 30.06.2014 पूर्वाग्रह से ग्रसित है क्योंकि पूर्ण रूप से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर पूर्व सें भी स्पष्टीकरण पत्राचार एवं प्रतिउत्तर सम्बन्धित अधिकारी मुख्यालय एवं जिलाधीश महोदय एवं निदेशक पब्लिक सर्विसेज को पूर्ण से सन्तुष्ट किया जा चुका था। तत्पश्चात् किसी भी बिन्दु पर भी सभी स्तर पर सन्तुष्टि हो गयी थी तथा पुनः मुझे अन्य कोई बिन्दुओं पर कोई आजतक आक्षेप एवं प्रतिउत्तर नहीं मांगा गया था तथा आप द्वारा भी लिखित जवाब एवं प्रतिउत्तर जवाब में मांगा गया था उसे भी मैंने 30 अप्रेल 2015 को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया था।

(अ) कि प्रदर्श पी–2 में दर्शाया गया कारण बताओं नोटिस का जवाब मेरे द्वारा समय समय पर एवं पूर्ण सन्तुष्ट करवा कर प्रमाणित करवा दिया गया था जिसका प्रमाण प्रदर्श डी 5,6,7,8

लगातार....02

दिया जा चुका है तथा पुनः मांगने पर मेरे द्वारा रजि. पत्र द्वारा पुनः स्मरण पत्रों द्वारा दिया जा चुका है जिसे अभियोजन पक्ष ने जॉच समय स्वीकार किया जा चुका है।

(ब) कि पी.डब्ल्यू–1 गवाह डॉ. तरूण चौधरी द्वारा दिये गये हर पत्र का जवाब समय ब्यौरेवार विस्तार से तथा उनकी कार्यशैली के अनुसार दिया जा चुका था जिसे मेरे द्वारा प्रदर्श उपरोक्त डी 5,6,7,8 से स्पष्ट हो गया था तथ अभयोजन पक्ष ने अपनी स्वीकारोक्ति से सही पाया गया है।

(स) कि मलेरिया की रिपोर्ट, दैनिक सप्ताहिक मासिक बीसीएमओं एवं सीएमएचओ को समयबद्ध पूर्णरूपेण जिम्मेदारी से लगातार भेज दी गई थी।

(डी) कि उपस्थापक महोदय श्रीमान् गोकूल लाल मीणा जी द्वारा वर्तमान सीएमएचओं राजसमंद द्वारा स्वीकारोक्ति द्वारा अपने रिकार्ड में सत्य स्वरूप मानते हुए मेरे पक्ष को मजबूत किया है।

(ई) श्रीमान् जॉच अधिकारी महोदय ने भी अपने निष्कर्ष में पेज नं 9 पर स्पष्ट रूप से डी डब्ल्यू 1 की गवाही को असत्य मानते हुए मेरे पत्र डी 7 प्रदर्श दिनांक 21.06.2013 को सही माना है जिससे मेरे स्पष्टीकरण 28.09.2012 कर स्पष्ट उल्लेख है।

(एफ) कि मैंने अपना स्पष्टीकरण, अभ्यावेदन एवं लिखित कथन पूर्व में भी कई बार दे चुका था जिसे हर स्तर पर स्वीकार कर किया गया तथा कार्मिक विभाग को भी मैंने अभ्यावेदन जॉच पूर्व ही पेश कर दिया था (दिनांक 28.04.2015 को रजि. डाक द्वारा जिसे जॉच अधिकारी द्वारा कोई महत्व नहीं दिया गया।)

02. डी 123 से उपस्थापक अधिकारी जी श्री गोकूल लाल मीणा जी ने अपने सकारात्क रूख के साथ, अपने प्रमाणिति तथ्यों के द्वारा स्वीकार कर स्पष्ट कर दिया गया है कि यह आरोप पत्र अवैधानिक, निति विरूद्ध तथा अन्याय पूर्ण विधिक प्रावधानों की दृष्टि से पूरक नहीं है इसलिए यह ज्ञापन आरोप पत्र को प्रारम्भिक स्तर पर ही अपास्त करवाते हुए समाप्त न कर विभागीय जॉच को मेरे पक्ष में इस स्तर पर खत्म न कर मेरे साथ अन्यायपूर्ण नीतिविरूद्ध तैयार किया गया है। जिसको आपके स्तर पर समाप्त करवा दिया जाना न्यायपूर्ण तर्कसंगत एंव सेवा नियमों के अनुकूल करते हुए न्याय दिलवाएं।

03. यह कि इतना व्यतीत होने उपरान्त प्रार्थी को उनकी सेवानिवृति के पश्चात् आरोप पत्र एवं ज्ञापन रात्री में 10 बजे असत्य कथन द्वारा मेरे निवास स्थान ब्यावर (अजमेर) में यह कह कर दिया गया कि सम्बन्धित पत्र पेंशन एवं अवकाश प्रकरण का नकद भुगतान वास्ते श्रीमान् सीएमएचओ राजसमंद द्वारा भिजवाया गया है (डी 1) असवैधानिक अन्यायापूर्ण एवं नितिरिति एंव विधिक प्रक्रिया द्वारा बाधित है जो कि राजस्थान सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण)नियंत्रण अपील 1958 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा बाधित है तथा समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् जारी किया गया है जो कि विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है, इसलिए ज्ञापन आरोप पत्र को प्रारम्भिक स्तर पर ही अपास्त फरमाया जावर समाप्त एवं समापन न करके विभागीय जॉच को इसी स्तर पर शुरू करके इस स्तर पर लया गया गया जिसे अब समाप्त एवं समापन करके एवं समस्त जॉच को इस स्तर पर निरस्त करना उचित एवं न्यायपूर्ण होगा। जिसे गवाह एवं उपस्थापक अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। (डी1 डी2 डी3 डी4)

04. यह कि उपरोक्त आरोप पत्र (अ) सेवानिवृति पश्चात् शाम 5.00 बजे समस्त दायित्वों का निर्वाह करते हुए हेण्डेड/ टेकन ओवर के पश्चात् कार्यालय से प्रस्थान कर मेरे घर ब्यावर (अजमेर) आ गए थे जहॉ पर रात्रि 10 बजे यह पत्र दिया गया। (डी–3 A,B) असैवाधानिक, अन्याय संगत, निति विरूद्ध जो (ब) विधि के विपरीत,एवं मनमाने दुर्वाग्रह से ग्रसित है (स) विधि अनुरूप एवं आरएसआर नियामनुसार कार्यालय समय में तथा कार्यालय में ही देना चाहिए था जिसे विधि विरूद्ध विपरीत, रात्री 10 बजे ब्यावर में दिया गया। (द), श्री सीएमएचओ राजसमंद फेक्स द्वारा ज्ञापन की प्राप्ति हुई है जिस पर समय 6.32 पीएम अंकित है तथा सीएमएचओ के हस्ताक्षर मय पत्र रात्री 10 बजे दिये गये जो कतई भी न्याय संगत, विधि संगत एंव आरएसआर नियम 1958 के घोर उल्लंघन को दर्शाता है चूंकि इसमें (ज्ञापन) में दिनांक समय, हस्ताक्षर स्पष्टतया अंकित है जो पीओन बुक एवं पत्र द्वारा सत्यापित हो जाता है तथा यह तथ्य उपस्थापक अधिकारी श्री जी.एल.भीणा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। जिसे तत्कालीन सीएमएचओ गवाही में पूर्ण रूप से यह सहमति बनाते हुए अपने ब्योर एवं बयान में उपरोक्त तथ्यों में उपरोक्त कथन स्वीकार कर चुके है, जिसे जिरह में स्वीकार कर लिया गया तथा इस विषय पर यह सामान्य पत्र व्यवहार न कर बिना मूल पत्र के ही दिया गया है। (फेक्स पत्र)

लगातार.....03

05. यह कि आरोप पत्र के सलंग्न पृष्ठांकन संख्या 01 कारण बताओ नोटिस है जिसका प्रतिउत्तर पालना अक्षरअंश करते हुए नियम समय पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सन्तुष्टि देकर कार्यवाही बाबत् सन्तुष्ट करवा दिया गया था। तत्पश्चात् भी अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं पर पूर्ण सम्वेदनशीलता बनाते हुए, संघन अभियान एवं निरीक्षण करते हुए मलेरिया की महामारी को फैलने से पूर्व ही नियंत्रण में लेकर पूर्णरूपेण सुरक्षित एवं सफलतापूर्वक संचालन कर लिया गया था। तत्पश्चात् श्री सीएमएचओ पत्रांक संस्थापन 2013/क्रमांक 1509, दिनांक 06.06.2013 द्वारा पुनः 21.06.2013 को क्रमांक 252 (बी) को प्रतिउत्तर भिजवा दिया गया था। सीएमएचओ राजसमंद के निर्देशानुसार स्लाईड़ लेकर पूर्ण विवरण अंकित कर चिकित्सीय जॉच कर चिकित्सीय सुविधाए उपलब्ध करवाई जिससे स्थिति पर पूर्णतया नियंत्रण पाया जाकर व्यवस्थाएं जारी की गई। जिसे उपस्थापक अधिकारी द्वारा स्वीकार कर मेरे पक्ष को बल दिया तथा वह–गवाह डॉ. चौधरी द्वारा दिये गये बयानों को असत्य साबित हो रहा है। जिसे प्रमाणित किया गया है

06. यह कि संस्थान में एक पी कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर तुरन्त त्वरित कार्यवाही करते हुए कार्ड उपलब्ध करवाये तथा स्लाई टेस्ट को भी त्वरित सुनियोजित एवं व्यवस्थित करवा कर रोगी एवं परिवार मोहल्ले वालों को सर्वे युद्ध स्तर पर करवा कर समस्त व्यवस्थाओं को सुचारू किया गया। तथा रेडिकल टिटमेन्ट तुरन्त उपलब्ध करवाया गया। साथ ही स्वागतकर्ता के समकक्ष ब्लड स्लाईड की नियमित नई व्यवस्था कर सघन अभियान द्वारा ब्लड स्लाईड लेकर स्थिति पर काबू पाया गया। तथा यह बीमारी बेक्टर बोन है अतः साल भर से अस्पताल की हेचरी (मछली पोण्ड बम्बुसिया फिश) को एन्ओ लार्वल के तहत भीम खण्ड एवं देवगढ़ खण्ड के कार्यकर्ताओं द्वारा वितरण करवाकर दैनिक रिपोर्ट सर्वे के साथ समय बीसीएमओ कार्यालय भिजवाई गई जहॉ से दैनिक रिपोर्ट सर्वे के साथ–साथ बीसीएमओ कार्यालय भिजवाई गई जहॉ से दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक रिपोर्ट समय से आगे भेज दी गई। इस विकट समय में अपनी स्वंय स्टाफ की उपस्थिति शतप्रतिशत सुनिश्चित करते हुए आदेशों निर्देशों एवं मार्गदर्शन में पूर्ण निष्ठा से कार्य किया जिससे व्यवस्था का सुचारू एवं सुदृढ़ एवं सफल क्रियान्वन किया गया।

07. यह कि सीएमएचओ के पत्रांक 2697, दिनांक 28.12.2012 के द्वारा सारेठ ग्राम में शिविर दिनांक 27.12.2012 को विकलांग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दूरभाष पर 10.37 प्रातः एवं पुनः 02.47 दोपहर कुशलपुरा में उपस्थिति दर्ज करवाने बाबत् दूरभाष पर समाचार दिया गया (केम्प के 9.00 प्रातः प्रारम्भ होने पश्चात्) इस पर मेरा सम्बन्धित कथन इस प्रकार है:–

(अ) उपरोक्त केम्प खण्ड चिकित्सा अधिकारी बीसीएमओ द्वारा किये जाते है। जिनकी स्वंय भी उपस्थिति केम्प में थी तथा सम्बन्धित सेक्टर ईन्जार्च की उपस्थिति थी इसके उपरान्त भी मुझे सारोठ जो मेरे क्षेत्राधिकारी के बार (45किमी. दूर) था तो भी मैंने अपनी संवैधानिक कर्त्तव्यों की पूर्ति कैम्प में जाकर ड्यूटी पुरी की।

(ब) मेरे पास रिक्त चार प्रकार के विक्लांग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे तथा सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल जुरिस्ट) कोर्ट साक्षी बाबत् मुख्यालय से बाहर थे, तब भी येनकेन प्रकरण उनको के उपलबध करवा कर भीम से 45 किमी दूर कैम्प में उपस्थित हुआ तथा वहॉ कोई भी विकलांग प्रार्थी मौजूद नहीं था अतः रिपोर्ट निल रही।

(स) कुशलपुरा शिविर में जिलाधीश महोदय के समक्ष मेरे द्वारा प्रदतः सेवाओं के लिए स्वंय जिलाधीश महोदय एवं सीईओ राजसमंद द्वारा समय पर निरीक्षण एवं सेवाओं के परिपेक्ष में मेरी सेवाओं का सराहा गया था शिविर समापन पर पुनः व्यक्तिगत रूप से अन्य आपात सेवाओं के लिए भीम एंव कैम्प में देने के लिए धन्यवाद दिया गया था। तत्पश्चात् भी इसका पत्र का प्रतिउत्तर सीएमएचओ को प्रस्तुत कर दिया गया था। तथा मौखिक तथा उपस्थापक द्वारा स्वीकार किया एवं उनके द्वारा प्रमाणित रूप से भी दूरभाष पर समस्त जानकारी दे दी गई थी तथा इसका प्रतिउत्तर भी एकसाथ प्रस्तुत कर दिया गया था दिनांक 21.06.2013 पत्रांक 252,252बी एवं 252सी। अनुपस्थित स्टॉफ को इस बाबत् का नोटिस देते हुए सम्बन्धित संदर्भित पत्राचार का जवाब 21.06.2013 पेज नं. 9बी तथा 7,8 डी 7,8 तत्पश्चात् भी पुनः स्मरण पत्र सीएमएचओ द्वारा दिये जाने पर स्थिति को स्पष्ट करते हुए दो ईमरजेन्सी का हवाला देते हुए सन्तुष्ट करवा दिया गया था तथा इस सन्दर्भ में और कोई बिन्दु विवादित एवं पुनः प्रस्तुत लाययक एवं प्रतिउत्तर लायक नहीं था तथा उपस्थापक द्वारा स्वीकारोक्ति कि द्वारा सप्रमाणित किया गया तथा पत्र डी 7,8 एक साथ, एक दिन पुनःप्रस्तुत कर दिया गया था यह जवाब डी 8बी पेज 9 व 10 प्रतिउत्तर तथा डी–5,6 गवाह ने अपने बयान में असत्य कथन द्वारा कहा कि नोटिस का जवाब नहीं दिया गया गवाही प्रत्युतः में मेरा उत्तर दिया जा चुका प्रमाणित है।

08. यह कि दूरभाष एवं मौखिक तौर पर मुख्यालय से सम्बन्धित हर आदेश, निर्देश एवं विचार, सुझावों को अक्षरसः 100 प्रतिशत पालना मेरे तथा मेरे स्टाफ कराते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस देते हुए प्रतिउत्तर पत्राचार का जवाब 21.06.2013 को स्पष्टीकरण दिया जा चुका था

09. यह कि दिनांक 12.10.12 को उपखण्ड अधिकारी, भीम के निरीक्षण पर मै वार्ड में ईमजेन्सी केस की जॉच एंव उपचार कर रहा था, राउण्ड लेकर निर्देशों की पालना करा रहा था तथा सूचना मिलने पर मैं अपने (प्रभारी कक्ष) में पहूँचा तब उपखण्ड अधिकारी उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण कर रहे थे तब मैंने उन्हें अपनी उपस्थिति बाबत् जानकारी दी जिससे सन्तुष्ट होकर उन्होने कार्य सम्पादन एवं ईमजेन्सी की कार्यवाही को उचित एवं सराहनीय बताते हुए धन्यवाद देते हुए अन्य अनुपस्थिति कर्मचारियों के बोर में निर्देश देकर निरीक्षण करवाया गया अतः वे उस समय पूर्ण सन्तुष्ट हो गये। तत्पश्चात् मैंने अपने समस्त अनुपस्थित कर्मचारियों के कारण बताओं नोटिस देकर उनका लिखित स्पष्टीकरण एवं बयान लेकर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बीसीएमओ तथ सीएमएचओ को प्रस्तुत किया। डी 9बी तथा डी 7,8 तथा 8बी एवं प्रत्युत्तर दिया गया था। 252, 252ए बी दिनांक 21.06.2013 बी दिनांक 21.06.2013 उपस्थापक अधिकारी द्वारा स्वीकार कर प्रमाणित किया जा चुका है। जिसे मेरे पक्ष को बल मिला है तथा गवाह डॉ. चौधरी द्वारा दिये गये बयानों को असत्य बयानों में साबित हो गया है कि मेरे द्वारा जवाब नहीं दिया गया। उपस्थापक अधिकारी ने जिसे प्रमाणित किया गया है।

तत्पश्चात् सीएमएचओ द्वारा स्पष्टीकरण पुन मांगने पर लिखित अभिकथन एवं उपस्थिति पंजिका की छाया प्रतिलिपि बीसीएमओ भीम द्वारा अपने पत्र द्वारा चाही गई थी जिसे भी त्वरित कार्यवाही करते हुए उपलब्ध करवा दी गई तथा उपरोक्त संदर्भ में यद्धपि सीएमएचओ राजसमंद द्वारा सम्बन्धित सूचनाए चाहने पर दी गई उन्हें भी पुनः स्मरण पत्र के साथ भिजवा दिया गया था। वह जवाब तथा पत्र डी 7,8 पत्र एक स्थान एक दिन प्रस्तुत कर दिया गया यह जवाब पी–1पी–5 काहै जिसे स्वीकार कर गवाह 1 अपने बयान से अपने आरोप को गलत साबित कर चुका है। गवाह द्वारा कहलाया गया कि नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, जब कि प्रत्युत्तर में जवाब दिया था प्रामाणित हो गया है।

यह कि अभिलेखों के निरीक्षण से भी स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि आरोप विवरण पंजिका के प्रपत्र नं0 7 के सन्दर्भ में ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं किया जा चुका था जिसके सन्दर्भ में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जो मेरे विरूद्ध तथा प्रतिकूल प्रविष्टि की श्रेणी में आता है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि मेरे विरूद्ध कोई भी टिप्पणी प्रविष्टि साक्ष्य के रूप में मेरी उपखण्ड अधिकारी द्वारा त्रुटि बताई गई हो। जिससे उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपस्थित मानते हुए स्वंय ने ही निरस्त एवं अपास्त कर दिया था, अतः उपरोक्त आरोप अप्रमाणित असवैधानिक अव्यैवहारिक एवं अनैतिक है। अतः निरस्त कर राहत दिलाये।

10. यह कि आरोप पत्र पृष्ठांकन 8 निदेशक पब्लिक सर्विसेज से सम्बन्धित है। जिससे (1) राजस्थान लोक सूचना के अधिकार अधिनियम 2011 एवं (2) राजस्थान लोक सेवा गारन्टी 2012 अधिनियम से सम्बन्धित है तथा पृष्ठांकन संख्या 9 में प्रदर्श है। (3) पृष्ठांकन संख्या 08 में उपरोक्त लोक सूचना के अधिकार से सम्बन्धित पत्र सीएमएचओ द्वारा दिये गये नियमों निर्देशों आदेशों एंव अधिनियम के तहत् दिसम्बर 2011 सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित की गई। जिसमें दीवार का पेन्ट करवाकर पूर्ण विवरण अस्पताल के मुख्य द्वारा के दाहिनी तरफ लिखवा दिया गया जो आज तक मौजूद है।

11. यह कि आरोप पत्र के पृष्ठांकन संख्या 09 में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के क्रम में रपष्टीकरण पत्र प्राप्ति के दिन ही तैयार कर 04.3.2013 दिनांक 5.03.2013 को रजिस्टर्ड एडी द्वारा भिजवा दी गई थी। प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र में जो उपरोक्त से सम्बन्धित था जिसकी अक्षरसः 100 प्रतिशत पालना नियमानुसार नियमित एंव गजट नोटिफिकेशन के आधार पर रजिस्टर संधारण सम्बन्धित प्रपत्र फार्मेट तथा प्रार्थी को रसीद उपलब्ध करवा कर प्रार्थना मंजूर कर सूचना के अधिनियम के अनुसार 2011 से समस्त विवरण सुरक्षित है तथा समय समय पर पंचायत स्तर, प्रशासन गॉवों के संग में नियमित भेजा जा रहा था। जिसे स्वंय निदेशक पब्लिक सर्विसेज के कैम्प में निरीक्षण कर देखा गया था अतः स्पष्ट रूप से अधिनियम 2011 का पालना की जा रही है। मेरे द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पत्र है जो स्वंय प्रमाणित करते है।

12. यह कि पी–पेज नं. 13–20 जनलोक सुनवाई अधिनियम 2012 का अधिकार क्षेत्र (क्रियान्विति) संधारण, पुनः निरीक्षण रिपोंटिग लिखित रूप से सूचना पट्ठ पर प्रदर्शित करने का खण्ड स्तर पर समस्त अधिकारी चिकित्सा विभाग के खण्ड अधिकारी स्तर के द्वारा

लगातार.....05

किया जाना निर्धारित किया गया अतः यह बीसीएओ के अधिकार क्षेत्र की बात है। जो क्षेत्राधिकार से परे तथा हमारे से सम्बन्धित नहीं है। तत्पश्चात् भी निति विरूद्ध असवैधानिक अवैवहारिक रूप से आरोप पत्र में जबरदस्ती देर्शाया गया है जो स्वतः ही निरस्त करने योग्य है। अतः इसे आरोप पत्र में से तुरन्त निरस्त करें राहत दिलवायें। जिसे गवाह-1 डॉ. चौधरी के बयानों से स्पष्ट है।

13. यह कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना से सम्बन्धित है इसका समस्त विवेचन मेरे द्वारा प्रमाण सहित भिजवा दिया गया था जिससे निदेशक पब्लिक सर्विसेज द्वारा सन्तोषजनक मानते हुए स्वीकार कर लिया गया था। इसमें किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किए गए कृत्य की प्रतिक्रियात्मक आरोप मेरे पर जबरदस्ती थोपे जा रहे है तथा आरएमएनसी के गठन के समय से ही टेबलेट प्राईमापिन 15 मिलीग्राम उपलब्ध नही थी, जो कि प्रमाणित है। तत्पचात् भी दोष मेरे पर मण्डा जा रहा है। जो मेरे द्वारा उत्तर है जिसे उपस्थापक अधिकारी गवाह द्वारा स्वीकार किया जा कर प्रमाणित हो गया है।

14. यह कि गवाह द्वारा उपस्थापक अधिकारी द्वारा ऐसा कोई भी प्रमाण मेरे विरूद्ध अनुपस्थिति का पेश नहीं किया गया है तथा आरोप पत्रावली में उपस्थिति पंजिका में भी मेरा अनुपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अतः पत्र 2281, दिनांक 12.10.2012 एवं पत्र 1514, दिनांक 06.06.2013 स्वंय ही असत्य साबित हो जाता तथा जॉच अधिकारी द्वारा निर्णय बिन्दू मेरी अनुपस्थिति बाबत् स्वतः ही निरस्त हो जाता है। जिसे जॉच अधिकारी द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बिन्दू का रूप दिया गया है तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी रजिस्टर में तथा अन्य कोई प्रमाण मेरी अनुपस्थिति बाबत् पेश नहीं किया गया है। जिसे जॉच अधिकारी ने बिना विचार किये हुए असत्य ही मेरी अनुपस्थिति को दर्शा दिया गया है जो निति विरूद्ध एवं मेरे मौलिक अधिकारी का हनन है।

उक्त वर्णित तथ्यात्मक एवं वैधानिक परिस्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध विरचित आरोप संख्या 01-04 पूर्णतया मिथ्या एंव निराधार है क्योंकि प्रार्थी का कृत्य किसी भी प्रकार से तथाकथित दुराचरण की श्रेणी में नहीं आता है और प्रार्थी को इस हेतु उत्तरदायी ठहराना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है, ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 के प्रावधानों के अनुसार जॉच कार्यवाही लम्बित रखना विधि की दृष्टि में पोषनीय नहीं है। उक्त वर्णित तथ्यों के अलावा प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय जॉच के अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के प्रावधानों की विधिवत पालना भी नहीं की गई है और न ही यथोहित समयावधि में प्रार्थी को ज्ञापन/आरोप पत्र मय दस्तावेज को उपलब्ध करवाये गये है, इतना ही नहीं दुर्भावना से ग्रस्त होकर लगभग ढ़ाई वर्ष से भी अधिक समायावधि के पश्चात् बिना वैधानिक प्रक्रिया के समयानुसार, नियमबद्ध एंव कार्यालय समय में न देकर रात 10.00 बजे प्रार्थी के घर देकर अन्य जिले भिजवाये गये थे, सेवानिवृति प्रश्चात् प्रार्थी को विधि विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम एंव अपील 1958 के नियम विरूद्ध है। अतः यह विधि द्वारा बधित है तथा यह मेरे अधिकारों का हनन है।

ज्ञापन/आरोप पत्र जारी किये गये है जो किसी प्रकार से अनुज्ञेय नही है, इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध लम्बित विभागीय जॉच एवं जॉच अधिकारी के निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

अतः अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध लम्बित विभागीय जॉच एवं जॉच अधिकारी की निर्णय टिप्पणियों को निरस्त कर इसे प्रारम्भिक स्तर पर ही समाप्त की जाकर प्रार्थी को आरोप मुक्त किये जाने के आदेश पारित किये जावे। ऐसी आपसे पूर्ण अपेक्षा एंव विश्वास है।

तत्पश्चात् डॉ. गहलोत से प्राप्त अभ्यावेदन का एवं जांच अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन का प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख के साथ परीक्षण किया गया जिसका विवेचन निम्नानुसार है:-

अभिलेखीय अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद द्वारा डॉ. गहलोत को दिया गया कारण बताओं नोटिस दिनांक 01.09.2012 है उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि डॉ. गहलोत के क्षेत्र में आउटडोर में सभी बुखार के मरीजों की ब्लड स्लाईड नहीं ली जा रही थी आउटडोर में मरीजों का पूर्ण पता दर्ज नहीं था ऐसे में किसी भी मरीज के लिए क्षेत्र में सर्वलेन्स करने में कठिनाई होती थी, मरीजों का टेस्ट कार्ड पोजेटिव अथवा लक्षणों के आधार पर रोगी संस्थान में बढ़ते रहने के बाद भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया व नहीं मुख्यालय को सूचित किया गया। जबकि डॉ. गलहोत को पूर्व में भी मासिक बैठकों व दिनांक 30.08.2012 को आयोजित बैठक में सूचित कर दिया गया था।

अभिलेख अनुसार मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसंमद का कारण बताओं नोटिस दिनांक 24.09.2012है जिसमें डॉ. गहलोत से मुख्यालय पर निवास नहीं किये जाने व बिना अवकाश मुख्यालय छोड़ने के क्रम में स्पष्टीकरण चाहा गया। अभिलेख अनुसार मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद का डॉ. गहलोत को दिनांक 28.12.2012 का राजसमंद के निर्देश पश्चात् ग्राम सारोठ में आयोजित शिविर में पहुँचकर विकलांग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रातः 10.37 ए.एम. पर दूरभाष पर निर्देशित किया गया था, परन्तु डॉ. गहलोत उक्त शिविर में नहीं पहुँचे। दोपहर 2:47 पी.एम. पर सारोठ के रास्ते पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भीम से दूरभाष पर बात कर पुनः भीम आ जाने व कुशलपुरा शिविर में उपस्थित नहीं होने बाबत् स्पष्टीकरण चाहा गया।

अभिलेख अनुसार मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद का पत्र दिनांक 14.05.2013 है जिसमें डॉ. गहलोत से मुख्यालय पर निवास नहीं करने के क्रम में स्पष्टीकरण चाहा गया है उक्त पत्र में यह भी लिखा गया है कि डॉ. गहलोत मुख्यालय पर निवास नहीं करते है बार–बार मरीजों के परिजन व जन प्रतिनिधि शिकायत करते है कि डॉ. गहलोत मुख्यालय पर निवास नहीं करता है। डॉ. गहलोत ने स्थानीय निवास का पता व मकान किराया का भुगतान भी नहीं उठाया है व डॉ. गहलोत को मुख्यालय पर निवास करने व पूर्व अनुमति से ही मुख्यालय छोडने के लिए निर्देशित किया गया।

अभिलेख अनुसार डॉ. गहलोत दिनांक 06.06.2013 का कारण बताओं नोटिस है जिसमें उपरोक्त कारण बताओं नोटिसों का स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने का उल्लेख किया है व तीन दिवस में स्पष्टीकरण देने हेतु सूचित किया गया है।

अभिलेख अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद का पत्र दिनांक 23.10.2012 है जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.2012 को प्रातः 9.10 ए.एम. पर चिकित्सालय का निरीक्षण किये जाने व डॉ. गहलोत के अनुपस्थित पाये जाने का उल्लेख करते हुये स्पष्टीकरण चाहा गया है।

अभिलेख अनुसार मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद का पत्र दिनांक 06.06.2013 है जिसमें डॉ. गहलोत का उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.2012 को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान डॉ. गहलोत के अनुपस्थित पाये जाने के क्रम में स्पष्टीकरण चाहा गया था व निरीक्षण के दौरान संस्थान में कार्यरत अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी अनुपस्थित पाये जाने पर डॉ. गहलोत को उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में डा. गहलोत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का उल्लेख किया है।

अभिलेख अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद का पत्र दिनांक 27.02.2013 व जिला कलेक्टर राजसमंद का पत्र दिनांक 21.02.2013 है के रूप में प्रदर्शित किया गया है उसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान जयपुर का पत्र दिनांक 20.02.2013 के अनुसार राजस्थान सुनवाई का अधिकारी अधिनियम 2012 व राजस्थान लोक सेवाओं के गारन्टी अधिनियम 2011 के अनुसार निर्धारित पंजिकाऐं संधारित नहीं किये जाने के क्रम में स्पष्टीकरण चाहा गया है व उक्त पत्रों से डॉ. गहलोत द्वारा प्रतिदिन ब्यावर जाने व चिकित्सालय में विलम्ब से पहूँचने एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की क्रियान्वर्ति में लापरवाही करने का तथ्य प्रमाणित हुआ है।

अभिलेख अुनसार प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का पत्र दिनांक 20.02.2013 है जिसमें डॉ. गहलोत द्वारा राजस्थान सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 व राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा क्रियान्वति में लापरवाही बरतने के क्रम में डॉ. गहलोत के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

डॉ. गहलोत द्वारा दिनांक 05.03.2013 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है जो अभिलेख में उपलब्ध है। उक्त स्पष्टीकरण से प्रार्थी के स्पष्टीकरण से प्रार्थी के विरूद्ध जारी किये गये कारण बताओं नोटिस की संक्षिप्त में क्रियान्वर्ति किये जाने हेतु सूचना दी गई है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि डॉ. गहलोत के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णरूप से प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में है। जहॉ तक डॉ. गहलोत का अभ्यावेदन पेश किये जाने का प्रश्न है उक्त क्रम में लेख है कि डॉ. गहलोत ने जॉच अधिकारी के व्यवहार व नकारात्मक कार्यवाही के कारण आरोप प्रमाणित पाये जाने उल्लेख किया है। जबकि उक्त तथ्यों के आधार पर डॉ. गहलोत के विरूद्ध अधिरोपित आरोप पूर्णरूप से प्रमाणित होते है। अतः जॉच अधिकारी का निष्कर्ष पूर्णरूप से सही है।

डॉ. गहलोत ने अपने द्वारा पेश किये गये स्पष्टीकरण को आधार मानते हुए आरोपों को गलत बताया गया है। परन्तु उक्त विवेचन के आधार पर डॉ. गहलोत के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में है। डॉ. गहलोत का यह कथन कि उन्हें सीसीए रूल्स 1958 के

नियम विपरीत आरोप पत्र उनके सेवानिवृति के दिन कार्यमुक्त होने के पश्चात् तामिल करवाये गये है जो नियमानुसार नहीं है। उक्त आक्षेप भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि डॉ. गहलोत को आरोप पत्र दिनांक 30.06.2014 को डॉ. गहलोत के कार्यकाल में जारी कर दिये गये थे व राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 07 के तहत् आरोप पत्र जारी किये जाने के दिनांक से ही अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू मानी जाती है व आरोप पत्र डॉ. गहलोत के सेवाकाल में जारी कर दिये जाने के कारण डॉ. गहलोत का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर डॉ. सीताराम गहलोत, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ, मेडिसन के विरूद्ध अधिरोपि आरोप प्रमाणित होते है।

चूंकि प्रकरण में डॉ. गहलोत राज्यसेवा से 30.06.2014 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। डॉ. सीताराम गहलोत, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम–7(1) के अन्तर्गत डॉ. गहलोत को देय पेंशन राशि का 10 (दस) प्रतिशत भाग एक वर्ष के लिए रोके जाने का अनन्तिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

तत्पश्चात् इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.07.2017 द्वारा प्रकरण में डॉ. सीताराम गहलोत, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा लिये गये अनन्तिम निर्णय जिसके द्वारा डॉ. गहलोत को देय पेंशन राशि का 10 (दस) प्रतिशत भाग एक वर्ष के लिए रोके जाने पर आयोग का परामर्श चाहा गया।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र क्रमांक 1(22)वि.जा./2017–18/44, दिनांक 20.07.2018 द्वारा डॉ. गहलोत के सन्दर्भ में लिए गये निर्णय पर अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् प्रकरण में माननीय राज्यपाल महोदय का दिनांक 14.09.2018 को अनुमोदन प्राप्त किया गया।

अतः माननीय राज्यपाल प्रस्तुत प्रकरण में डॉ. सीताराम गहलोत, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ, (मेडिसन),सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीम राजसमंद के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1996 के नियम–7(1) के अन्तर्गत डॉ. गहलोत को देय पेंशन राशि का 10(दस) प्रतिशत भाग एक वर्ष के लिए रोके जाने के दण्ड से दण्डित किए जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

01. जे.एस. (वीएस) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके बार कोड कमांक – एफ 17001747 दिनांक 01.06.2017 के सन्दर्भ में।
02. उप सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग को उनके पत्र क्रमांक 1(22)वि.जा./2017–18/44, दिनांक 20.07.2018 के क्रम में।
03. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग।
04. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
06. अनुभागाधिकारी, कार्मिक(क–1/ग्रो.प्र.) विभाग। (जन्म तिथि 07.06.1954)
07. अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क–3/निरीक्षण) विभाग। 10(100)2014
08. डॉ. सीताराम गहलोत, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ, (मेडिसन) से.नि.(आदेश की एक अतिरिक्त प्रमाणित प्रति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग की राय की प्रति सलंग्न हैं।)
    द्वारा:–शासन उप सचिव,
    चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग
09. रक्षित पत्रावली।

(विजय सिंह)
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– सीबी/सीएएस/एस–552/2019/90 दिनांक : 22/1/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क–3/जांच)विभाग, राज0 जयपुर को उनके आदेश कमांक प. 1(136)का/क–3/14 दिनांक 30.10.18 के कम में।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन–उदयपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर (अजमेर) को भेजकर लेख है कि डॉ0 सीताराम गहलोत, तत्का0 क0वि0(मेडिसन) हाल सेवानिवृत को कार्मिक विभाग की आदेश दिनांक 30.10.18 तामिल करवाकर तामिल रसीद तीन प्रतियों में भिजवाना सुनिश्चित करें एवं संबंधित पेंशन विभाग को भी सूचित करें।
5. डॉ0 सीताराम गहलोत, तत्का0 क0वि0(मेडिसन) हाल सेवानिवृत द्वारा उनके नियंत्रणाधिकारी।
6. अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित संस्थापन/डीपीसी अनुभाग मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।